न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम :- सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर०ए०एस०)
वाद सं० 227 सन 2019
अन्तर्गत :-

1. जगपाल जाखड़ 2. मोहनलाल जाखड़ पुत्रगण ओमप्रकाश जाखड़ जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश जाखड़ पुत्र दत्तक पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री ओमप्रकाश जाखड़ पत्नी श्योपतराम निवासी कुमथल तहसील व जिला सिरसा
3. प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :- 19/2/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 888 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 488/402 के कुल 23 किता की कुल 5.8190हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 4 केएनएन के खाता संख्या 84/84 का किता 10 की कुल 2.5300हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीया संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है लेकिन कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीगण की बहिन है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वर्तमान में वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को उनके हक हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिनों तक तो आजकल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 488/402 के कुल 23 किता की कुल 5.8190हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 4 केएनएन के खाता संख्या 84/84 का किता 10 की कुल 2.5300हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बहिब दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ,2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल दावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीगण की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है इकबाल दावा नत्थीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

पैरोकार राज ने अपने जवाब में अंकित किया की वादीगण पैतृक भूमि स्वयं साबित करे एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो राज्यपक्ष को ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया जाकर वकील वादीगण को सुना गया।

वकील वादीगण के अधिवक्ता ने अपने बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 488/402 के कुल 23 किता की कुल 5.8190हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 4 केएनएन के खाता संख्या 84/84 का किता 10 की कुल 2.5300हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि पूर्व में वादीगण के दादा मनफूल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें

Scanned with CamScanner

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने वादीगण के वाद को स्वीकार किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीगण की बहन है ने यह भी स्वीकार कर लिया है उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 ने अपने कथनो के समर्थन मे ईकबाल दावा भी पेश किया गया है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल है।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादीगण साबित है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 488/402 के कुल 23 किता की कुल 5.8190हैक्ट भूमि मे से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 4 केएनएन के खाता संख्या 84/84 का किता 10 की कुल 2.5300हैक्ट भूमि मे से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 488/402 के कुल 23 किता की कुल 5.8190हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 4 केएनएन के खाता संख्या 84/84 का किता 10 की कुल 2.5300हैक्ट भूमि मे से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का पिता है के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व मे वादीगण के दादा मनफुल के नाम से सयुक्त खाता में अपने भाईयों के साथ राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मनफुल के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादीगण के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा बिरजुराम के नाम से दर्ज थी जो जमाबन्दी सम्वत 2057 से 2060 से पुर्णत्या साबित है।

इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड से पूर्णत्या साबित है वाद भूमि पूर्व मे वादीगण के दादा मनफुल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादीगण के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है। पैतृक सम्पति मे हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादीगण का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौतों/पौतीयो का बराबर का हक हिस्सा होगा जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा भी पेश किया है

वादीगण का कथन है प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीगण की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग/तर्क वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 488/402 के कुल 23 किता की कुल 5.8190हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 4 केएनएन के खाता संख्या 84/84 का किता 10 की कुल 2.5300हैक्ट भूमि मे से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है के वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है ।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/3/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. जयपाल जाखड 2. मोहनलाल जाखड पुत्रगण ओमप्रकाश जाखड जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश जाखड पुत्र दत्तक पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री ओमप्रकाश जाखड पत्नी श्योपतराम निवासी कुमथल तहसील व जिला सिरसा
3. प्रबन्धक , भारतीय स्टेट बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 227 सन 2019 निर्णय दिनांक– 19/7/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 488/402 के कुल 23 किता की कुल 5.8190हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 4 केएनएन के खाता संख्या 84/84 का किता 10 की कुल 2.5300हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिच के खातेदार काश्तकार है ।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु इंजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/7/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner